



मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ला दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल  
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 241/2025

राय सिंह पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. हरलाल पुत्र भादरराम उर्फ बहदारराम जाति जाट साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. इन्द्राज पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. शारदा पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. रजो देवी पत्नी हरलाल जाति जाट साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

-- प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन**

**डिक्री**

दिनांक :- 30/10/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

क. वादी राय सिंह :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
4 बीएलडब्ल्यू	27/241	22/1/.228, 23, 24/1, 24/2, 25/1/.025	0.759 हैक्.

ख. प्रतिवादी सं. 2 इन्द्राज :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
4 बीएलडब्ल्यू	27/241	3, 4, 5/1, 5/2	0.759 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घाघर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय को कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक ~~कलक्टर~~ एव  
पीलीबंगा ~~उपखण्ड~~ अधिकारी पीलीबंगा

